भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2237

20 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए

स्टील का निर्यात

2237. डॉ. अशोक कुमार मित्तल:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कच्चे माल के महंगे होने के कारण इस्पात के निर्यात में कठिनाई आ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कदम उठाए हैं; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क) से (ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार की भूमिका एक सुविधाप्रदाता की है। इस्पात का निर्यात वैश्विक बाजार की स्थितियों, मांग एवं आपूर्ति, इनपुट कच्चे माल जैसे कि लौह अयस्क, कोकिंग कोल आदि की कीमत जैसे कारकों पर निर्भर है जो बाजार से संबद्ध होते हैं। अधिक प्रतिस्पर्धात्मक घरेलू इस्पात निर्माण और इसलिए निर्यात के लिए और अधिक अनुकूल नीतिगत माहौल प्रदान करने हेतु, सरकार ने निम्नलिखित सहित कई कदम उठाए हैं:

i. मई-नवंबर 2022 के बीच लौह अयस्क, पेलेट, कोकिंग कोल, लौह एवं इस्पात उत्पादों पर आयात एवं निर्यात शुल्कों के अंशांकन (कैलिब्रेशन) के माध्यम से नीतिगत पहल।

ii. लौह अयस्क के उत्पादन/उपलब्धता को बढ़ाने के लिए खनन एवं खनिज नीति में सुधार।

iii. केंद्रीय बजट 2021-22 में गैर-मिश्रधातु, मिश्रधातु और स्टेनलेस स्टील के सेमिज, फ्लैट एवं लॉन्ग उत्पादों पर मूल सीमा शुल्क को एकसमान रूप से घटाकर 7.5% कर दिया गया।

iv. दिनांक 31.03.2024 तक सीआरजीओ के कच्चे मालों और इस्पात स्क्रैप पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) पर छूट।

v. घरेलू रूप से सृजित स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

*****